>

Title: Need to give ownership of agricultural land to farmers in Jabalpur Cantonment area, Madhya Pradesh.

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) जबलपुर स्थित कंटोमेंट क्षेत्र के किसान विगत दो सौ वर्षों से अपनी भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं। यहां 1924 का केंट एक्ट सम्पदा अधिकारी की नियुक्ति के समय 1930 में लागू हुआ और बिना किसी मुआवजे के किसानों की जमीनें अधिगृहित कर कृषि भूमि के 15 वर्षीय पट्टे दिये गये किन्तु कृषक को अपनी भूमि क्रय–विक्रय करने तथा गिरवी रखने का अधिकार भी था। 1945 में नवीनीकरण के समय किसानों के अधिकार छीनकर पट्टे पांच वर्षीय कर दिये गये। 1973 में मेजर जनरल सहित एक उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम ने अपने निरीक्षण में कृषि भूमियों को सैनिक दृष्टिकोण से अनुपयोगी पाया। इस रिपोर्ट को मानकर रक्षा मंत्रालय ने कृषि भूमि पट्टों के नवीनीकरण कर किसानों को पुनः अधिकार दे दिये हैं। परन्तु आपातकाल में एकाएक रक्षा सम्पदा अधिकारी जबलपुर के निर्देश पर सभी किसानों को बेदखल कर जमीन अधिगृहित कर ली गई। अधिकतर कृषि भूमि आज भी बंजर पड़ी है। पूर्व में सागर छावनी क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन की जमीन लेकर किसानों की कृषि भूमि उन्हें वापिस दी जा चुकी है। यही स्थिति जबलपुर कंटोनमेंट क्षेत्र में भी बन सकती है। ये सभी किसान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के हैं। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि इन गरीब किसानों के हित में स्थाई समाधान सुनिश्चित किया जाये तथा कृषि भूमि का मालिकाना हक उन्हें दिया जाये।